न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 580 सन 2018
अनवान :–

1. लिलाधर पुत्र मंगतुराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र मंगतुराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर ।
2. हाकमराम पुत्र मंगतुराम जाति कुम्हार निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 26.12.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 589/521 के खसरा न0 1037 की 1.1380हैक खसरा न0 1038 की 1.1980हैक कुल 2.3290हैक जिसके वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 खातेदार काश्तकार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्हाने आपसी सहमति से खाता विभाजन कर लिया खाता विभाजन में वादी के पास रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 589/521 के खसरा न0 1037/1 की 0.683हैक उतरादा पासा प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 589/521 के खसरा न0 1038 की 1.1890हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 589/521 के खसरा न0 1037/2 की 0.455हैक भूमि आई है इसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज नही हे जिसे वादी बाहमी बटवारा के अनुसार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया जा चुका है उसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा/ईकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के नाम से सयुक्त खाता में दर्ज है वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के साथ वादी का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा हो चुका है उसी के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी भूमि काश्त करते आ रहे है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या

Web Copy Not Official

1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा हो चुका है उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जातता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है इसप्रकार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि वादी के पास रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 589/521 के खसरा न0 1037/1 की 0.683हैक उतरादा पासा प्रतिवादी संख्या 1 के पास रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 589/521 के खसरा न0 1038 की 1.1890हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 2 के पास रोही मौजा कानसर के खाता संख्या 589/521 के खसरा न0 1037/2 की 0.455हैक भूमि रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहन मुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official